BA (Hons.) PART –II, Paper- III

डॉ0 गौतम कुमार

अतिथि शिक्षक

राजनीति विज्ञान विभाग

आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

प्रधानमंत्री

भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री की अहम् भूमिका होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यो के सम्पादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मन्त्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। वही अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि "प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जायेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।"

प्रधानमंत्री की योग्यताएँ एवं नियुक्ति

भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की योग्यता का वर्णन नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है, इसलिए उनमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो संसद सदस्य में होती है। इन योग्ताओं के अतिरिक्त उसे बहुमत दल का नेता होना अनिवार्य है।

लोकसभा चुनाव के बाद बहुमत वाली पार्टी के द्वारा दल के नेता का चयन किया जाता है। उसके बाद बहुमत दल के नेता के द्वारा सरकार बनाने का दावा पेश किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है जिसे बहुमत दल का नेता चुना गया है। इस प्रकार राष्ट्रपति द्वारा अपनी इच्छानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है। परम्परानुसार त्रिशंकु लोकसभा की स्थिति में राष्ट्रपति सबसे बड़ा दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।

सामान्यतः प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षो का होता है परन्तु प्रधानमंत्री का कार्यकाल लोकसभा के बहुमत के समर्थन पर भी निर्भर करता है। जब प्रधानमंत्री के पक्ष में लोकसभा का बहुमत नहीं रहता है तथा बीच में अविश्वास प्रस्ताव आने पर, अगर अविश्वास का मत स्वीकार हो जाता है तो प्रधानमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ता है। प्रधानमंत्री का त्याग–पत्र सम्पूर्ण मन्त्रिमण्डल का त्याग पत्र समझा जाता है।

प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियॉ

1. प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है तथा वह संसद का भी नेता होता है। अर्थात् प्रधानमंत्री देश का नेता होता है।
2. प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद् का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा मन्त्रिपरिषद् के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री स्वंय अपने मंत्रिपरिषद् का आकार निश्चित करता है लेकिन 91 वें संविधान संशोधन के बाद प्रधानमंत्री स्वंय समेत अपने मंत्रिपरिषद् का आकार लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं बना सकते हैं।
3. प्रधानमंत्री को अपनी मंत्रिपरिषद् का निर्माण करते समय प्रशासनिक, राजनीतिक, क्षेत्रीय, धार्मिक और अन्य बातों को भी ध्यान रखना होता है।
4. प्रधानमंत्री अपने मन्त्रिपरिषद् के मंत्रियों के बीच विभागों का बॅटवारा स्वंय करता है। यह किसी भी मंत्री को कोई भी विभाग दे सकता है तथा इसमें परिवर्तन भी कर सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों को जब चाहे, तब मंत्री पद से हटा भी सकता है।
5. प्रधानमंत्री मंत्रिमण्डल की अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री कार्यसूची तैयार करता है तथा बैठकों में होनवाले वाद–विवाद पर नियंत्रण करता है।
6. प्रधानमंत्री की सलाह पर ही, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है।
7. प्रधानमंत्री के सलाह/परार्मश पर ही शासन के सभी उच्चाधिकारियों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उदाहरणार्थ – राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, अन्य देशों में भारत के राजदूत, महाअधिवक्ता तथा अन्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इत्यादि।

8. प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिमण्डल के बीच कड़ी का कार्य करते हैं। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को प्रशासन और विधायन संबंधी जानकारी देता है।
9. प्रधानमंत्री राष्ट्र का अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि होता है और प्रधानमंत्री विदेश नीति का निर्माण करता है।
10. देश की अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण होता है। योजनाओं की सफलता प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है। अर्थात् अर्थव्यवस्था का उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री पर ही निर्भर करता है।

उपप्रधानमंत्री

भारतीय संविधान में उपप्रधानमंत्री पद का उल्लेख नहीं किया गया है। लेकिन भारतीय राजनीति में परम्पराओं के अनुसार अनेकों बार उपप्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई है। उपप्रधानमंत्री कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेता है तथा कैबिनेट मंत्री के समान ही शक्ति और कार्य होते हैं। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उपप्रधानमंत्री ही मन्त्रिपरिषद् की अध्यक्षता करता है। वर्त्तमान सरकार में कोई उपप्रधानमंत्री नहीं है। विभिन्न कार्यकाल जैसे – पंडित जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में सरदार बल्लभ भाई पटेल, इन्दिरा गॉधी के कार्यकाल में गुलजारी लाल नन्दा एवं मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लाल कृष्ण आडवाणी इत्यादि उपप्रधानमंत्री रहे हैं।